प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 128 / **2025** (अपील सूचना का अधिकार)

Dinesh Khatri Add: 21-A Daitya Magri, Udaipur

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 29/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 28.05.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/128/25/822–23 दिनांक 18.08.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा द्वारा जरिये पत्राक सू. अ.अ./2005/1651 दिनांक 15.09.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना तहसीलदार गोगुन्दा से संबंधित होने से इस कार्यालय के पत्रांक सू.अ./2025/1058–59 दिनांक 13.06.2025 से अंतरण किया जाकर प्रार्थी को डाक द्वारा उक्त सूचना तहसीलदार गोगुन्दा से प्राप्त करने के लिए अवगत कराया गया था। जिसके तहत् तहसीलदार गोगुन्दा के पत्रांक सू.अ./2025/233 दिनांक 25.06.2025 द्वारा प्रार्थी को वांछित सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका था।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर Kala Ashram Foundation एवं उससे संबंधित भूमि रूपांतरण से संबंधित सूचनाएँ माँगी गई हैं। सूचना का संबंध तहसीलदार गोगुन्दा से होने से प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना तहसील कार्यालय से प्राप्त करने हेतु जरिये पत्रांक 1058–59 दिनांक 13.06.2025 से लिखा गया। तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नगत होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना देने का प्रावधान नहीं होने से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया गया। स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में जो

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर उदयपुर

RajKaj Ref No.: 22515507

M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation : Collector and District Magistrate
Date: 2026.05.29 13:43:08 IST
Reason: Approved

सूचना चाही गई है उसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है एवं अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1 से 7 तक की सूचना देय है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा एवं तहसीलदार गोगुन्दा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दु संख्या 1 से 7 की सूचना नियमानुसार 15 दिवस उपलब्ध कराये एवं यदि शेष सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित हो तो ऐसी स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही करे तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation : Collector and District Magistrate
Date: 2026.05.29 13:43:08 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22515507
M e-Sign